

**झारखण्ड सरकार,  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।**

**अधिसूचना**

राँची, दिनांक— 08 दिसम्बर, 2020

(1) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6358 / श्री राजीव रंजन, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 767/03, गृह जिला— हजारीबाग) कार्यपालक दण्डाधिकारी, पाकुड़ की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(2) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6359 / श्री बासुदेव प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 853/03, गृह जिला— दुमका) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पत्थरगामा, गोड्डा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(3) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6360 / श्री विजयेन्द्र कुमार, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला— दुमका) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एगारकुण्ड, धनबाद की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(4) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6361 / श्री राम नारायण सिंह, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला— बेगुसराय, बिहार) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चक्रधरपुर, चाईबासा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(5) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6362 / श्री विकास तिर्की, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला— राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(6) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6363 / श्री सुदर्शन मुर्मू, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला— साहेबगंज) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्द्रपुरा, बोकारो की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।


(7) संख्या— 03/पद-01(ग)-03/2018 का.— 6364 / श्रीमती पूनम कच्छप, झा०प्र०से० (प्रथम बैच, गृह जिला— राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाण्डिल, सरायकेला— खरसावां की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

- (8) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6365 / श्री रौशन कुमार साह, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— गोड्डा) कार्यपालक दण्डाधिकारी, चक्रधरपुर, चाईबासा की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।
- (9) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6366 / श्री संजय कुमार दास, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— गोड्डा) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मयूरहण्ड, चतरा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।
- (10) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6367 / श्री रजनीश कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— गोड्डा) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।
- (11) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6368 / श्री राजीव कुमार सिंह, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— छपरा, बिहार) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।
- (12) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6369 / श्री अमित कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— गढ़वा) कार्यपालक पदाधिकारी, लातेहार नगर पंचायत, लातेहार की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।
- (13) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6370 / श्रीमती कुमारी गीतांजली, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— राँची) अंचल अधिकारी, सरायकेला सदर की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।
- (14) संख्या— 03 / पद—01(ग)—03 / 2018 का.— 6371 / श्री अरविन्द कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय बैच, गृह जिला— कोडरमा) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चंदवा, लातेहार की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(15) संख्या— 03/पद—01(ग)—03/2018 का.— 6372 / श्री राहुल जी आनन्द जी, झाप्रोसे० (द्वितीय बैच, गृह जिला— बांका, बिहार) कार्यपालक पदाधिकारी, बासुकीनाथ नगर पंचायत, दुमका की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इनकी सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

(16) संख्या— 03/पद—01(ग)—03/2018 का.— 6373 / श्री प्रमोद राम, झाप्रोसे० (द्वितीय बैच, गृह जिला— पलामू) कार्यपालक दण्डाधिकारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम की सेवा जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
 (अशोक कुमार खेतान)  
 सरकार के संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक— 03/पद—01(ग)—03/2018 का० 6374 / राँची, दिनांक— 08 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि— नेटवर्क पदाधिकारी, ई—गजट कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक— 03/पद—01(ग)—03/2018 का० 6374 / राँची, दिनांक— 08 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि— महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संयुक्त सचिव, प्रभारी (प्रशाखा—5 एवं 6) कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 सरकार के संयुक्त सचिव।